''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत 'डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2002—वैशाख 6, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2002

क्रमांक 3167/21-अ/प्रारूपण/01.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 18-4-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 21 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त निवेश क्षेत्रों में अनधिकृत विकास को नियमित करने हेतु एक प्राधिकारी में अधिकारों को निहित कर प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा में उनके प्रयोग, क्रियान्वयन एवं दायित्वों के निर्वहन के लिये, उपबन्ध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल के द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक—प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम, ''छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002)'' कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ होगा.

(3) यह छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगा.

लागू होना.

2. इस अधिनियम के प्रावधान उन अनधिकृत विकास पर लागू होंगे जो राज्य शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक या उसके पूर्व अस्तित्व में आ चुके हों.

परिभाषा.

3. (1) इस विधेयक में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(एक) ''प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 4 में गठित प्राधिकारी से;

(दो) ''निर्माता'' से अभिप्रेत है, निवेश क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में या भूमि पर भवन निर्माण अथवा अन्य अभियांत्रिकी संरचनाओं के सृजन में संलिप्त कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह से;

(तीन) ''शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य शासन;

(चार) ''मार्ग रेखा'' से अभिप्रेत है, मार्ग की पार्श्व सीमाओं को रेखाएं;

(पांच) ''अनधिकृत विकास'' से अभिप्रेत है, किसी क्षेत्र का ऐसा विकास जो, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), या तत्समय प्रवृत्त कोई अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियम, या उपविधियों के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा के विपरीत या प्रदत्त अनुज्ञा से परिवर्तित स्वरूप में, या बिना अनुज्ञा के अथवा निर्धारित भूमि-उपयोग से विचलित, कर किया गया हो;

(छः) ''नियमितिकरण'' से अभिप्रेत है, धारा 5 (1) (दो) के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा किसी अनधिकृत विकास का किया गया नियमितिकरण.

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का, जो यहां परिभाषित नहीं हैं, वही आशय होगा, जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं उसके तहत बने नियमों में, है.

अध्याय-दो—प्राधिकारी का गठन, प्रक्रिया इत्यादि

जिला नियमितिकरण प्राधिकारी का गठन.

4. (1) राज्य शासन, अनधिकृत विकास नियमितिकरण हेतु, प्रत्येक जिले के लिए एक प्राधिकारी गठन करेगा जो ''जिला नियमितिकरण प्राधिकारी'' कहलायेगा.

(2) जिला नियमितिकरण प्राधिकारी निम्नानुसार सदस्यों से गठित होगा :—

(एक)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(तीन)	संबंधित नगरीय निकाय, जिनके क्षेत्र का प्रकरण होगा, का आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	सदस्य
(चार)	संबंधित विकास प्राधिकरण, जिनके क्षेत्र का प्रकरण होगा, का मुख्य कार्यपालन अधिकारी.	सदस्य
(पांच)	नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का जिले का प्रभारी अधिकारी	सदस्य सचिव

आवेदन.

5. प्राधिकारी, अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु सक्षम अधिकारी के माध्यम से जो इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किया जावे, प्रभावित व्यक्तियों से, निर्धारित समय-सीमा में तथा उस रीति, से जैसा कि शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु निर्धारित नियमों के तहत निर्धारित किया जाये, आवेदन प्राप्त कर सकेगा.

जिला नियमितिकरण प्राधिकारी की शक्तियां.

6. (1) जिला नियमितिकरण प्राधिकारी में निम्न शक्तियां अन्तर्निहित होंगी :—

(एक) धारा 5 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकारी, जिले के किसी भी निवेश क्षेत्र के अनधिकृत विकास से संबंधित किसी भी अभिलेख या सूचना को बुला सकेगा. इन अभिलेखों एवं सूचनाओं के आधार पर प्राधिकारी, इस अधिनियम की धारा सात के अनुसार या तो आवेदन को निरस्त करेगा या अनधिकृत विकास के नियमितिकरण का निर्णय ले सकेगा;

(दो) यदि प्राधिकारी, नियमितिकरण का निर्णय लेता है, तो वह सम्यक् रूप से विचार कर, ऐसे विकास के कारण, आवेदक पर शास्ति अधिरोपित करेगा. प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित होने के 14 दिनों के भीतर यदि आवेदक लिखित में प्राधिकारी से किश्तों में भुगतान करने हेतु आग्रह करता है, तब प्राधिकारी शास्ति की राशि ब्याज के साथ किश्तों में वसूल कर सकेगा;

(तीन) शास्ति अधिरोपित करने के उद्देश्य से प्राधिकारी, किसी अनधिकृत विकास का मूल्यांकन, भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य, निर्माण मूल्य इत्यादि, के आधार पर करेगा. प्राधिकारी, इसके मासिक भाड़े का मूल्यांकन भी करेगा;

(चार) प्राधिकारी शास्ति का निर्धारण, ऐसे मूल्यांकन तथा अनधिकृत विकास के कारण सामीप्य में आवश्यक मूलभूत अधोसंरचना की विकास लागत, के आधार पर करेगा;

(पांच) प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन एवं नियमितिकरण शास्ति के जमा होने पर, ऐसा विकास अनधिकृत नहीं रह जायेगा एवं प्राधिकारी, ऐसे प्रारूप में, जैसा विहित किया जाये, इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

(2) प्राधिकारी में वे समस्त शक्तियां वेष्ठित होंगी, जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में हाईराइज समिति को प्राप्त है.

(3) यदि प्राधिकारी, आवश्यक समझता है तो, धारा 5 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर विनिश्चयत हेतु किसी पंजीकृत संरचना इंजीनियर, नगर नियोजक या वास्तुविद् की सेवायें या राय ले सकेगा.

(4) प्राधिकारी, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा शासन द्वारा अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु नियत किया जाये.

अनधिकृत विकास का नियमितिकरण.

7. (1) जिला नियमितिकरण प्राधिकारी, किसी अनधिकृत विकास का नियमितिकरण नहीं करेगा यदि—

(एक) भूमि शासन, स्थानीय प्राधिकारी, या किसी कानूनी निकाय के स्वामित्व की हो;

(दो) निर्माण परिभाषित भवन रेखा को प्रभावित करता हो या मार्ग रेखा के भीतर स्थित हो;

(तीन) भूमि शासन, स्थानीय प्राधिकारी या कानूनी निकाय द्वारा, जिस प्रयोजन हेतु विकास किया गया है, से भिन्न विशिष्ट प्रयोजन के लिए आवंटित की गई हो;

(चार) निर्माण क्षेत्र जलाशय के तल या जलाशय के किनारे या किसी प्राकृतिक जल निकास पर स्थित हो;

(पांच) बहुमंजिलें भवन की स्थिति में, भवन किसी विरासत स्थल के दृश्य को बाधित करता हो या अग्नि सुरक्षा या संरचना की स्थिरता हेतु निहित मानकों का उल्लंघन करता हो;

(छः) क्षेत्र परिसंकटमय अवशिष्ट का उपयोग या जनित करने वाले उद्योगों हेतु निश्चित हो;

(सात) ऐसा करना सार्वजनिक हित में न हो.

(2) यदि अनधिकृत विकास, विकास योजना में पार्किंग स्थल या आमोद-प्रमोद हेतु निश्चित क्षेत्र पर किया गया हो तो, नियमितिकरण की अनुमति तभी दी जावेगी जब आवेदक द्वारा सामीप्य में ही अनुकाल्पिक क्षेत्र की व्यवस्था कर दी जाये.

(3) यदि अनधिकृत ऊंचा भवन, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता हो, तब उसके नियमितिकरण पर विचार नहीं किया जायेगा.

(4) उपस्थित परिस्थितियों के दृष्टिगत, प्राधिकारी अनधिकृत विकास का आंशिक रूप से नियमितिकरण कर सकेगा.

(5) नियमितिकरण से आवेदक किन्हीं अन्य सेवाओं या उत्पन्न दावों का हकदार नहीं होगा.

अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी की शक्तियां.

8\. अधिकारिता रखने वाला प्राधिकारी, सुसंगत अधिनियमों तथा उसके अधीन बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत, अनधिकृत विकास के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करेगा यदि—

(एक) स्वामी या अधिभोगी या निर्माता, अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु विहित समय-सीमा में आवेदन नहीं करता,

(दो) आवेदन, धारा 6 (1) (i) के तहत निरस्त कर दिया गया हो,

(तीन) आवेदक, नियमितिकरण हेतु निर्धारित शास्ति जमा करने में विफल रहता है.

अपील.

9\. (1) प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर, संभागायुक्त को अपील कर सकेगा.

(2) यदि धारा पांच में उल्लेखित आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की जाती है तो, वह संभागायुक्त द्वारा सुनवाई हेतु तब तक ग्राह्य नहीं की जायेगी, जब तक अपीलकर्त्ता द्वारा नियमितिकरण शास्ति की 50% राशि जमा न कर दी गई हो. अपील के लंबित रहने की अवधि में, अपीलकर्त्ता अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जावे, नियमित रूप से जमा करेगा.

(3) संभागायुक्त द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति, आदेश पारित होने की तिथि से तीस दिन के भीतर, शासन को अपील कर सकेगा,

परन्तु अपील के लंबित रहने की अवधि में अपीलकर्त्ता को अनधिकृत विकास का मासिक भाड़ा, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया हो, नियमित रूप से जमा करना होगा.

अध्याय-तीन—विविध

शासन की शक्तियां.

10\. (1) शासन, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर इस अधिनियम के अधीन संभागायुक्त या प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की शुद्धता, वैधानिकता या औचित्य से स्वयं की संतुष्टि हेतु अभिलेख बुला सकेगा, तथा अभिलेखों के परीक्षण होने तक, ऐसे आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा सकेगा.

(2) शासन जैसा उचित समझे, संभागायुक्त या प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को संशोधित या उलट सकेगा,

परंतु शासन द्वारा ऐसा आदेश, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, पारित नहीं किया जायेगा.

शास्ति एवं अन्य प्राप्तियों का संग्रहण.

11\. इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत प्राप्त की गई समस्त शास्तियां, भाड़ा एवं अन्य प्राप्तियां शासकीय कोष में जमा की जायेगी.

12. (1) तत्समय में प्रवृत्त किसी अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अधिकारी, या प्राधिकारी के विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस नियम के या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशाहित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी. अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही हेतु संरक्षण.

(2) शासन या शासन के अधीन किसी प्राधिकारी के विरुद्ध, उस नुकसान हेतु, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये या सद्भावपूर्वक आशाहित किसी बात, के कारण घटित हुआ हो या घटित होना संभावित हो, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

13. शासन इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी. ये नियम निम्नांकित समस्त या किन्हीं विषयों से संबंधित हो सकते हैं यथा :— राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तियां.

(एक) अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(दो) नियमितिकरण शास्ति के निर्धारण हेतु मानक;

(तीन) नियमितिकरण शास्ति की वसूली एवं उपयोग की प्रक्रिया;

(चार). इस अधिनियम की धारा 6 में प्राधिकारी को अंतर्विहित शक्तियों के उपयोग की प्रक्रिया.

अध्याय-चार — व्यावृत्ति

14. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956), छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961), या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1993) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के जारी होने के दिनांक से, अधिनियम में उल्लेखित अनियमित विकास के संबंध में, ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का पालन तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करना बंद कर देगा, जिनका इस अधिनियम के अंतर्गत प्रयोग करने, पालन करने तथा निर्वहन के लिये राज्य शासन, संभागायुक्त या प्राधिकारी सक्षम हैं. व्यावृत्ति.

15. इस विधेयक के प्रावधानों के तहत पारित आदेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का सिविल वाद पोषणीय नहीं होगा. सिविल कोर्ट की अधिकारिता का वर्जन.

16. इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावशील करने में यदि कोई कठिनाई आती है, तो शासन ऐसा आदेश, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जारी कर कठिनाई को दूर कर सकेगा. कठिनाई हेतु शक्ति.

''यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2002 को पारित किया गया.''

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2002

क्रमांक 3167/21-अ/प्रारूपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 21 of 2002)

CHHATTISGARH ANADHIKRIT VIKAS KA NIYAMITIKARAN ADHINIYAM, 2002

An Act to regularize the unauthorized developments in the planning area in the State of Chhattisgarh, by vesting certain powers specified herein, in an authority to exercise, perform and discharge the duties entrusted to them within specified duration of time.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislative Assembly in the Fifty third year of the Republic of Inida as follows :—

CHAPTER-I—PRELIMINARY

Short Title, Extent and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002).

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Application.

2. The provisions of this Act shall apply to such unauthorized developments which were in existence on or before the date notified by the State Government.

Definition.

3. (1) In this Act, unless the context otherwise requires—

(i) "Authority" means an authority constituted under section 4 of the Act.

(ii) "Builder" means and includes, a person or group of persons engaged in construction of building or creation of any other engineering structure in, or on any piece of land, in the planning area.

(iii) "Government" means State Government of Chhattisgarh.

(iv) "Road line" means both limiting sides of any public road.

(v) "Unauthorized development" means development of any site without any permission or contrary to the permission granted or deviation of land use or deviation from the permission granted under the provisions of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) or any of the acts for the time being in force or any rules or byelaws made thereunder.

(vi) "Regularisation" for the purpose of this Act means, regularisation of the unauthorized development by the Authority under Section 5 (1) (ii).

(2) Words and expressions used in this Act, but not defined herein, shall have the same meaning as given in the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 and rules made thereunder.

CHAPTER-II—CONSTITUTION OF AUTHORITY, PROCEDURE ETC.

Constitution of District Regularisation Authority.

4. (1) The State Government shall constitute for each district an authority to be called the "District Regularisation Authority" for the purpose of regularisation of unauthorized development.

(2) The District Regularisation Authority shall consist of the following members namely :—

(a)	Collector of the District	-	Chairman
(b)	District Superintendent of Police	-	Member
(c)	The Municipal Commissioner/Chief Municipal Officer of the concerned Urban Local body, for the cases of their respective areas.	-	Member
(d)	Chief Executive Officer of the concerned Development Authority, for their respective areas.	-	Member
(e)	Officer of Town & Country Planning Department in-charge of the district.	-	Member Secretary.

Application.

5. The authority may receive applications, through competent officer appointed for this purpose for regularisation of unauthorized development from the affected persons within the time limit and in the manner as prescribed by the Government under the rules framed for this purpose.

Powers of District Regularization authority.

6. (1) The District Regularizatioh Authority shall have the following powers :—

(i) On receipt of application under Section 5, it may call for any record or information regarding unauthorized developments in any planning area within the district. On the basis of such records and information, the Authority may either reject the application or take a decision for regularisation of unauthorized development in accordance with Section 7 of this Act.

(ii) In case, the Authority decides in favour of regularisation, it shall, after due consideration, impose penalty on the applicant for such development. The Authority may collect such penalty in suitable installments together with interest, in case the applicant makes a written request for payments in installments, within 14 days of the order by the Authority.

(iii) For the purpose of imposing penalty, the Authority shall evaluate an unauthorized development on the basis of prevailing market value of the land, construction etc. The Authority shall also evaluate its monthly rent.

(iv) The Authority shall determine penalty on the basis of such evaluation done and the cost of development of basic infrastructure in the vicinity, which may be required because of the unauthorized development.

(v) Upon compliance of the order issued by the Authority, and deposit of the regularisation penalty, such development would cease to be unauthorized and a certificate to that effect will be issued to the applicant, by the Authority in such proforma as may be prescribed.

(2) The Authority shall have the same powers as are conferred on the High-Rise Building Committee under the provisions of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

(3) The Authority may, if it consider necessary, take the services or opinion of any registered structural engineer, town planner or architect in deciding applications under Section 5.

(4) The Authority shall exercise such other powers as may be assigned to it by the Government for the purpose of regularisation of unauthorized development.

Regularisation of an unauthorized development.

7. (1) The District Regularisation Authority shall not regularise an unauthorized development if,

(i) the land belongs to Government, local authority, or a statutory body.

(ii) the construction is affecting the defined building line or is falling within the Road-lines.

(iii) the land has been allotted by the Government, local authority or statutory body for a specific purpose, other than the one for which development has been done.

(iv) the area of construction is on tank bed or tank bank or natural drainage.

(v) in case of multi-storied buildings, the building is obstructing the view of any heritage building site or is violating the prescribed norms for fire safety or structural stability.

(vi) the area is earmarked for industries which use or produce hazardous substances.

(vii) it is not in public interest to do so.

(2) If the unauthorized development is on parking spaces or on areas earmarked for recreational use in the development plan, regularisation shall be permitted only when an alternative area has been provided by the applicant in close vicinity of the constructed site.

(3) No regularisation of unauthorized high-rise building shall be considered, if it contravenes any of the provisions of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

(4) The authority may regularise part of the unauthorized development also, looking to the attending circumstances.

(5) Regularisation will not entitle the applicant for any other services or claims arising thereof.

Powers of authority having jurisdiction.

8. The authority having jurisdiction, shall take appropriate action against an unauthorized development according to the provisions of the relevant acts, and rules made thereunder if.

(i) the owner, or occupier or builder of the unauthorized development does not apply for regularisation within the prescribed time limit.

(ii) the application has been rejected under section (6) (1) (i).

(iii) the application fails to deposit the penalty for regularisation.

Appeal.

9. (1) Any person, aggrieved by an order passed by the Authority, may appeal to the Divisional Commissioner within thirty days from the date of such order.

(2) In case the appeal is filed by the applicant as mentioned in section 5, the appeal shall not be admitted for hearing by the Divisional Commissioner unless the appellant has deposited 50% of the penalty for regularisation. The applicant must deposit the monthly rent of the unauthorized development regularly, as decided by the Authority, during the pendency of the appeal.

(3) Any person, aggrieved by an order passed by the Divisional Commissioner may file an appeal to the Government within thirty days from the date of such an order,

Provided that the appellant shall regularly deposit the monthly rent for the unauthorized development as decided by the Authority under this Act during the pendency of the appeal.

CHAPTER-III—MISCELLANEOUS

Power of the Government.

10. (1) The Government may either suo-moto, or on an application filed by any person, for the purpose of satisfying itself as to the correctness, legality or propriety of any order passed by Divisional Commissioner or Authority under this Act, call for the records and may also direct that pending examination of the record, such order be held in abeyance.

(2) The Government may modify or reverse the orders of the Divisional Commissioner or Authority under this Act as it may deem fit. No such order shall be passed by the Government unless the interested parties have been given an opportunity of being heard.

Deposit of penalty and other accruals.

11. The penalty, rental value and other accruals received under the provisions. of this Act shall be credited to the Government treasury.

Protection of action taken under the Act.

12. (1) Notwithstanding any thing contained in any law for the time being inforce, no suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer or Authority for any thing which has been done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or rules made thereunder.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the Government or any authority under the Government for any damage caused or likely to be caused by any thing which has been done or any action taken in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or rules made thereunder.

Powers of Government to make rules.

13. The Government may make rules for the purposes of effectively carrying out the provisions of this Act. Such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(i) procedure to be followed in regularisation of unauthorized development;

(ii) norms for imposition of regularisation penalty;

(iii) procedure for collection and utilisation of penalty for regularisation;

(iv) procedure for exercise of powers conferred to the Authority under Section 6 of this Act.

CHAPTER-IV—SAVINGS

Savings.

14. Notwithstanding any thing contained in Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), Chhattisgarh Municipalities Act ,1961 (No. 37 of 1961) or Chhattisgarh Panchayatraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1993) any local government, as the case may be, in relation to the unauthorized development under the provisions of this Act, from the date of commencement of this Act, shall cease to exercise the powers, perform the functions, and discharge duties which the State Government, Divisional Commissioner, and the Authority is competent to exercise, perform and discharge under this Act.

Bar on the Jurisdiction of Civil Courts.

15. No civil suit of any nature against any of the orders passed under the provisions of this Act will be maintainable before any court.

Power to remove difficulties.

16. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, not inconsistent with the provision of this Act, remove the difficulty.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 307] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर 2002—कार्तिक 17, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2002

क्रमांक 7033.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 3-11-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराधा खरे, उप सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 32 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) में संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्रमांक 32 सन् 2002) है."

(दो) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

धारा 6 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) की धारा 6 की उपधारा (1) (चार) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए.—

"परन्तु अधिरोपित की जाने वाली शास्ति अनधिकृत विकास के ऐसे मूल्यांकन तथा ऐसी अधोसंरचना की विकास लागत के 50% से अधिक नहीं होगी".

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2002

क्रमांक 7033.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्रमांक 32 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराधा खरे, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 32 of 2002)

CHHATTISGARH ANADHIKRIT VIKAS KA NIYAMITIKARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002

An Act to amend the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-third year of the Republic of India as follows :—

1. (i) This Act may be called the "Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (No. 32 of 2002)". Short Title and Commencement.

(ii) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. After (iv) of Sub-section (1) of Section 6 of Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002) the following provision shall be inserted namely.— Amendment in Section 6.

"Provided that the amount of penalty to be imposed shall not be more than 50% of such evaluation and the cost of development of such infrastructure."

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108 द] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 अप्रैल 2003—वैशाख 6, शक 1925

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2003

क्रमांक 2840/21-अ/प्रारूपण/03.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-4-2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. बाजपेयी, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 4 सन् 2003)

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2003

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) को और संशोधित करने हतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस विधेयक का नाम छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 4 सन् 2003) है.

(2) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 9 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 की उपधारा (1), (2) एवं (3) में शब्द "संभागायुक्त" के स्थान पर "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" स्थापित किया जाए.

धारा 10 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) एवं (2) में शब्द "संभागायुक्त" के स्थान पर "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" स्थापित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2003

क्रमांक 2840/21-अ/प्रारूपण/03.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 4 सन् 2003) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. बाजपेयी, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2003)

THE CHHATTISGARH ANADHIKRIT VIKAS KA NIYAMITIKARAN (SANSODHAN) ADHINIYAM, 2003

An Act further to amend the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-fourth year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran (Sansodhan) Vidheyak, 2003 (No. 4 of 2003).

(2) It shall come into force from date of its notification in the official Gazette.

Amendment of Section 9.

2. In Sub-section (1), (2) and (3) of Section 9 of the Chhattisgarh Anadikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002) hereinafter called Principal Act, for words "Divisional Commissioner" the words "Director Urban Planning and Development" shall be substituted.

Amendment of Section 10.

3. In Sub-section (1) and (2) of Section 10 of the Principal Act, for words "Divisional Commissioner" the words "Director Urban Planning and Development" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2003—भाद्र 21, शक 1925

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2003

क्रमांक 5725/21-अ/प्रारूपण/2003.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 3-9-2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. बाजपेयी, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 21 सन् 2003)

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2003

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्रमांक 21 सन् 2003) है.

(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

नई धारा 6-क और 6-ख का अंतःस्थापन.

2. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 6-क और 6-ख अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

6-क आवासीय भवनों हेतु विशेष प्रावधान :-

(एक) आवासीय भवनों में शास्ति अधिरोपण हेतु अनधिकृत विकास को भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नानुसार वर्ग में विभक्त किया जाएगा :-

(एक) 120 वर्गमीटर तक

(दो) 120 वर्गमीटर से 240 वर्गमीटर तक

(तीन) 240 वर्गमीटर से 360 वर्गमीटर तक

(चार) 360 वर्गमीटर से ऊपर

(दो) आवासीय भवनों में शास्ति अनधिकृत रूप से विकसित फर्शीक्षेत्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी. अगर भवन बिना किसी भवन अनुज्ञा के निर्मित किया गया है, तब उस परिस्थिति में संपूर्ण फर्शीक्षेत्र हेतु शास्ति वसूल की जावेगी. अगर भवन निर्माण भवन अनुज्ञा में निर्दिष्ट क्षेत्र से अधिक फर्शीक्षेत्र पर निर्मित किया गया है, तब अधिक निर्मित क्षेत्र पर शास्ति का अधिरोपण किया जायेगा.

(तीन) आवासीय भवनों हेतु शास्ति की दर निम्नानुसार होगी :-

(क) 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर निर्मित भवनों पर, कोई शास्ति निर्धारित नहीं होगी.

(ख) 120 वर्गमीटर से अधिक के क्षेत्रफल पर निर्मित भू-खण्डों पर शास्ति की दर निम्नानुसार होगी :-

भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकरण (1)	दर प्रति वर्गमीटर (रुपये में) (2)
120 से 240 वर्गमीटर तक	100
240 से 360 वर्गमीटर तक	150
360 वर्गमीटर से अधिक	250

6-ख. मूल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निराकृत प्रकरण पुनः परीक्षित किए जाएंगे एवं शास्ति की गणना धारा 6-क में निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी. यदि किसी प्रकरण में आवेदक द्वारा अधिक राशि जमा की गई है, तब उसे राज्य सरकार द्वारा इस हेतु बनाये गये नियमों के अंतर्गत वापस किया जा सकेगा.

3. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 7 की उपधारा (2) को विलोपित किया जाये. धारा 7 का संशोधन.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2003

क्रमांक 5725/21-अ/प्रारूपण/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्र. 21 सन् 2003) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. बाजपेयी, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 21 of 2003)

THE CHHATTISGARH ANADHIKRIT VIKAS KA NIYAMITIKARAN (SANSODHAN) ADHINIYAM, 2003

An Act further to amend the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Fourth year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran (Sansodhan) Adhiniyam, 2003 (No. 21 of 2003). **Short Title and Commencement.**

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. After Section 6 of Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002) following Section 6-A and 6-B shall be inserted, namely :- **Insertion of New Section 6-A and 6-B.**

6-A. Special provision for residential building :-

(i) For imposition of penalty on residential buildings, the unauthorised development shall be classified on the basis of its plot-area, as follows :-

(one) upto 120 square metres

(two) from 120 sq. mts. to 240 sq. mts.

(three) from 240 sq. mts. to 360 sq. mts.

(four) above 360 sq. mts.

(ii) For residential buildings the penalty shall be fixed on the basis of the floor area of the unauthorised development. If the building is constructed without any building permission, then the penalty shall be imposed on the total floor area. If the building is constructed with additional floor area other than specified in the building permission, penalty shall be imposed only on such additional area.

(iii) For residential buildings, the rate of penalty shall be as follows :-

(one) No penalty shall be imposed on the buildings constructed on plot areas upto 120 sq. mts.

(two) The rate of penalty for the buildings constructed on plot areas above 120 sq. mts., shall be as follows :-

Classification on the basis of plot area (1)	Rate per sq. mt. (in rupees) (2)
Upto 120 to 240 sq. mts.	100
Upto 240 to 360 sq. mts.	150
above 360 sq. mts.	250

6-B. Under the provisions of the Principal Act, the cases disposed shall be re-examined, and the rate of penalty shall be calculated as per the provisions made under Section 6-A. If in any case, excess amount has been deposited by the applicant, the same will be returned, as per the rules made by the State Government in this regard.

Amendment of Section 7.

3. Sub-section (2) of Section 7 of Chhattisgarh Anadhikrit Vikas ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002) shall be omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2016 — वैशाख 16, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक 4502/डी. 151/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 02-05-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. छाबड़ा, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 21 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा 3 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(दो-क) "भवन अनुज्ञा शुल्क" से अभिप्रेत है ऐसा शुल्क जो कि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 21 के उप-नियम (3) के खण्ड (ख) एवं (ग) के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित किया जाये;"

धारा 6 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में -

(क) खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(तीन) व्यावसायिक तथा अन्य गैर-आवासीय भवनों जो धारा 6-क के अधीन नहीं आते हों, पर शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिये, प्राधिकारी, निम्नलिखित मापदण्ड का अनुपालन करेगा, अर्थात् :-

स. क्र.	अनधिकृत सन्निर्माण वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल	देय शास्ति
(1)	(2)	(3)
1.	100 वर्गमीटर तक	भवन अनुज्ञा शुल्क का 16 गुणा
2.	100 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 200 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 21 गुणा
3.	200 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 300 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 26 गुणा
4.	300 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 400 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 31 गुणा
5.	400 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 500 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 36 गुणा

28

(1)	(2)	(3)
6.	500 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 600 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 41 गुणा
7.	600 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 700 वर्गमीटर से कम	भवन अनुज्ञा शुल्क का 46 गुणा
8.	700 वर्गमीटर से अधिक	भवन अनुज्ञा शुल्क का 51 गुणा"

(ख) खण्ड (चार) को विलोपित किया जाए.

4. मूल अधिनियम की धारा 6-क की उप-धारा (तीन) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 6-क का संशोधन.

"(ख) 120 वर्गमीटर से अधिक के भू-खण्ड के क्षेत्रफल पर निर्मित भवनों के लिये शास्ति की दर निम्नानुसार होगी,-

स. क्र.	भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकरण	दर प्रति वर्गमीटर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	120 से 240 वर्गमीटर तक	125
2.	240 से 360 वर्गमीटर तक	200
3	360 वर्गमीटर से अधिक	300"

5. मूल अधिनियम की धारा 9 में, जहां कहीं भी शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" आये हों के स्थान पर, शब्द "संभागायुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 9 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 10 में, जहां कहीं भी शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" आये हों के स्थान पर, शब्द "संभागायुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 10 का संशोधन.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक 4502/डी. 151/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

30

CHHATTISGARH ACT
(No. 21 of 2016)

CHHATTISGARH ANADHIKRIT VIKAS KA NIYAMITIKARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment of Section 3.

2. After clause (ii) of sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :-

"(ii-a) "Building permission fee" means such fee as is ascertained from time to time under clause (b) and (c) of sub-rule (3) of rule 21 of the Chhattisgarh Bhumi Vikas Rules, 1984;"

Amendment of Section 6.

3. In sub-section (1) of Section 6 the Principal Act,-

(a) for clause (iii), the following shall be substituted, namely :-

"(iii) For the purpose of imposing penalty on commercial and other non-residential buildings not covered under Section 6-A, the Authority shall follow the following scale, namely :-

S. No. (1)	Plot area having unauthorized Construction (2)	Penalty payable (3)
1.	Upto 100 sq meters	16 times of building permission fees.
2.	Above 100 sq meters but less than 200 sq meters.	21 times of building permission fees.
3.	Above 200 sq meters but less than 300 sq meters.	26 times of building permission fees.
4.	Above 300 sq meters but less than 400 sq meters.	31 times of building permission fees.
5.	Above 400 sq meters but less than 500 sq meters.	36 times of building permission fees.
6.	Above 500 sq meters but less than 600 sq meters.	41 times of building permission fees.

(1)	(2)	(3)
7.	Above 600 sq meters but less than 700 sq meters	46 times of building permission fees.
8.	Above 700 sq meters	51 times of building permission fees"

(b) clause (iv) shall be deleted.

4. For clause (two) of sub-section (iii) of Section 6-A of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :- Amendment of Section 6-A.

"(two) The rate of penalty for the buildings constructed on plot areas above 120 sq. mts. shall be as follow :-

S. No. (1)	Classification on the basis of plot area (2)	Rate per sq. mt. (in Rupees) (3)
1.	from 120 to 240 sq. mts.	125
2.	from 240 to 360 sq. mts.	200
3.	above 360 sq. mts.	300"

5. In Section 9 of the Principal Act, for words "Director Urban Planning and Development", wherever they occur, the words "Divisional Commissioner" shall be substituted. Amendment of Section 9.

6. In Section 10 of the Principal Act, for words "Director Urban Planning and Development", wherever they occur, the words "Divisional Commissioner" shall be substituted. Amendment of Section 10.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 435] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई 2022 — आषाढ़ 23, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 जुलाई 2022

क्र. 7988/डी. 70/21–अ/प्रारू./छ.ग./22. – छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 06–07–2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 7 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 4 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र 21 सन् 2002), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) की धारा 4 की उप–धारा (2) के खण्ड (पांच) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :—

"(पांच) नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का जिले का प्रभारी अधिकारी/संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक	सदस्य सचिव"

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:- धारा 6 का संशोधन.

"(चार)(क) निर्धारित प्रयोजन से भिन्न भूमि के उपयोग परिवर्तन करने पर, उस क्षेत्र की भूमि के लिए वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन दर का 5 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति देय होगा।

(ख) (एक) यदि अनधिकृत विकास, निर्धारित पार्किंग हेतु आरक्षित भूखण्ड/स्थल पर किया गया हो, तो नियमितिकरण की अनुमति तभी दी जायेगी, जब आवेदक द्वारा पार्किंग की कमी हेतु निर्धारित अतिरिक्त शास्ति राशि का भुगतान कर दिया गया हो।

(दो) दिनांक 01.01.2011 के पूर्व अस्तित्व में आये ऐसे अनधिकृत विकास/निर्माण, जिनकी भवन अनुज्ञा/विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो, अथवा ऐसे अनधिकृत भवन, जिसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में, यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 अथवा संबंधित नगर के विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नही है, तो पार्किंग हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का निम्नानुसार नियमितिकरण किया जा सकेगा:-

स. क्र.	पार्किंग में कमी का प्रतिशत	देय शास्ति (प्रत्येक कार स्थान की कमीं के लिए)
(1)	(2)	(3)
1	25 प्रतिशत तक	प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रूपये
2	25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक	प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रूपये
3	50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत तक	प्रत्येक कार स्थान हेतु दो लाख रूपये

(तीन) दिनांक 01.01.2011 अथवा उसके पश्चात् अस्तित्व में आये ऐसे अनधिकृत विकास/निर्माण, जिनकी भवन अनुज्ञा/विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो, अथवा ऐसे अनधिकृत भवन, जिनके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में, यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 अथवा संबंधित नगर के विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है, तो पार्किंग हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितिकरण किया जा सकेगा :—

स.क्र.	पार्किंग में कमी का प्रतिशत	देय शास्ति (प्रत्येक कार स्थान की कमी के लिए)
(1)	(2)	(3)
1	25 प्रतिशत तक	प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रूपये
2	25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक	प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रूपये

(चार) शमन योग्य पार्किंग की गणना निम्नानुसार

होगी:–

स.क्र.	अधिभोग	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल (प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आवासीय	500 तक	निरंक
		500 से अधिक	50 प्रतिशत
2	गैर–आवासीय	500 तक	निरंक
		500 से अधिक	50 प्रतिशत

(ग) ऐसी गैर लाभ अर्जन करने वाली सामाजिक संस्थायें, जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से स्थापित न की गई हो, के अनधिकृत विकास के प्रत्येक प्रकरण में शास्ति प्राक्कलित राशि के 50 (पचास) प्रतिशत की दर से देय होगा।

(घ) छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 39 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार, मार्ग की चौड़ाई उपलब्ध नहीं होने के कारण, स्थल पर विद्यमान गतिविधियों में किसी प्रकार का लोकहित प्रभावित न होने की स्थिति में, नियमितिकरण किया जा सकेगा।"

4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) के खण्ड (तीन) का लोप किया जाये। धारा 7 का संशोधन.

5. (1) मूल अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (2) में, शब्द "अपील के धारा 9 का

संशोधन. लंबित रहने की अवधि में, अपीलकर्ता अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जावे, नियमित रुप से जमा करेगा." के स्थान पर, शब्द "अपील के लंबित रहने की अवधि में, अपीलकर्ता द्वारा अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जो एक वर्ष से अनधिक अवधि का देय होगा, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाये, नियमित रूप से जमा करेगा। यह प्रावधान समस्त लम्बित एवं नवीन प्रकरणों पर प्रभावशील होगा।" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(2) मूल अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परंतु अपील के लंबित रहने की अवधि में, अपीलकर्ता अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जैसा कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित रूप से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जमा करेगा। यह परन्तुक समस्त लम्बित एवं नवीन प्रकरणों पर प्रभावशील होगा।"

अटल नगर, दिनांक 14 जुलाई 2022

क्र. 7988/डी. 70/21–अ/प्रारू./छ.ग./22. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 7 of 2022)

THE CHHATTISGARH ANADHIKRIT VIKAS KA NIYAMITIKARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022

An Act further to amend the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Third Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran (Amendment) Adhiniyam, 2022.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 4.

2. For clause (v) of sub-section (2) of Section 4 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely:-

"(v)	The Officer-in-charge of the District/Joint Director/ Deputy Director/ Assistant Director of the Nagar Tatha Gram Nivesh department	Member Secretary"

Amendment of Section 6.

3. After clause (iii) of sub-section (1) of Section 6 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"(iv)(a) On changing the land use other than prescribed purposes, an additional penalty of 5 percent of the current prevailing collector guide line rate for the land of that area shall be payable.

(b) (i) if the unauthorized development is done on the plot/site reserved for the prescribed parking, then the regularization will be allowed only after the prescribed additional penalty amount for lack of parking has been paid by the applicant.

(ii) such unauthorized development /construction which came into existence before the date

01.01.2011, for which building permit/development permit is sanctioned, or such unauthorized buildings for which property tax is being paid at the rate determined by the Government in the concerned local body, if parking is not available in such buildings as per the Chhattisgarh Land Development Rules, 1984 or the development plan of the city concerned, then the building can be regularized on the payment of additional penalty amount for parking as follows:-

S.No.	Parking Decrease Percentage	Penalty Payable (for each car space constraint)
(1)	(2)	(3)
1	Up to 25 percent	Fifty thousand rupees for each car space
2	More than 25 percent and upto 50 percent	One lakh rupees for each car space
3	More than 50 percent and upto 100 percent	Rs.2 lakh for each car space

(iii) such unauthorized development /construction which came into existence on or after the date 01.01.2011, for which building permit/development permit is sanctioned, or such unauthorized buildings for which property tax is being paid at the rate determined by the Government in the concerned local body, if parking is not available in such buildings as per the Chhattisgarh Land Development Rules, 1984 or the development plan of the city concerned, then the building can be regularized on the payment of additional penalty amount for parking as follows:-

S.No.	**Parking Decrease Percentage**	**Penalty Payable (for each car space constraint)**
(1)	(2)	(3)
1	Up to 25 percent	Fifty thousand rupees for each car space
2	More than 25 percent and upto 50 percent	One lakh rupees for each car space

(iv) The calculation of compoundable parking shall be as under:-

S.No.	Occupancy	Built up area (in square metres)	Minimum Area Available for Parking (Per Car Space (ECS))
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Residential	Up to 500	Nil
		More than 500	50 Percent
2	Non residential	Up to 500	Nil
		More than 500	50 Percent

(c) penalty in each case for unauthorized development of such non-profit making social institutions, which are not established for the purposes of making profits, shall be payable at the rate of 50 (fifty) percent of the estimated amount.

(d) As per the provision laid down in Rule 39 of the Chhattisgarh Land Development Rules, 1984, regularization may be done if public

interest is not affected by the existing activities at the site due to non-availability of width of the road."

Amendment of Section 7.

4. Clause (iii) of sub-section (1) of Section 7 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 9.

5. (1) In sub-section (2) of Section 9 of the Principal Act, for the words "The applicant must deposit the monthly rent of the unauthorized development regularly, as decided by the Authority, during the pendency of the appeal.", the words "During the pendency of the appeal, the appellant shall regularly deposit the amount of monthly rent for unauthorized development, which shall be payable for a period not exceeding one year, as may be determined by the Authority under this Act. This provision shall apply to the all pending and new cases." shall be substituted.

(2) For the proviso of sub-section (3) of Section 9 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that during the pendency of the appeal, the appellant shall regularly deposit the amount of monthly rent for a period not exceeding one year, for the un-authorized development, as decided by the Authority under this Act. This proviso shall apply to the all pending and new cases."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल 2023 — चैत्र 13, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 अप्रैल 2023

क्रमांक 4222/डी. 46/21-अ/प्रारू./छ. ग./23. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 20-3-2023 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 5 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022.

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 6 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (चार) के उप-खण्ड (ख) के पैरा (तीन) की सारणी के सरल क्रमांक 2 के पश्चात् , निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

स.क्र.	पार्किंग में कमी का प्रतिशत	देय शास्ति (प्रत्येक कार स्थान की कमी के लिए)
(1)	(2)	(3)
"3	50 प्रतिशत से अधिक एवं 75 प्रतिशत तक	प्रत्येक कार स्थान हेतु दो लाख रूपये"

अटल नगर, दिनांक 3 अप्रैल 2023

क्रमांक 4222/डी. 46/21-अ/प्रारू./छ. ग./23.—– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 3 अप्रैल 2023 का अंग्रेज़ी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 5 of 2023)

THE CHHATTISGARH ANADHIKRIT VIKAS KA NIYAMITIKARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022.

An Act further to amend the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Third Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 6.

2. After serial number 2 of the Table of para (iii) of sub-clause (b) of clause (iv) of sub-section (1) of Section 6 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002), the following serial number shall be added, namely:-

S.No.	Parking Decrease Percentage	Penalty Payable (for each car space constraint)
(1)	(2)	(3)
"3	More than 50 percent and upto 75 percent	Two lakh rupees for each car space"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023.